न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]कुमार बनाम प्रशासक ग्राम पंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अपील नामान्तरण मु.नं. – 2/2025
26.06.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत हासंपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1326 पर पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.09.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2025	2025 / 0028	21.01.2025	26.06.2025

उनवान प्रकरण

श्रवण कुमार अग्रवाल पुत्र रामजीलाल आयु 58 वर्ष जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 8 बावड़ी आश्रम के पास कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1–प्रशासक (सरपंच) ग्राम पंचायत हासंपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी / अपीलार्थी अभिभाषक।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1326 अस्वीकार दिनांक 06.09.2021 निर्णय द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत हासंपुर, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्ट के इस आशय से प्ररतुत की है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 4.16 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हिस्सा 7/105 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख दिनांक 13.07.2021 को उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार अश्विनी, प्रियंका, निकिता, लक्ष्यता पुत्रीयां पप्पू, विक्की, शंशाक पुत्रगण पप्पू व कृष्णादेवी पत्नी पप्पू समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण वार्ड नम्बर 1 ढ़ाणी उदकड़ी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) प्रत्येक का हिस्सा 1/105 कुल 7 हिस्से कुल 7/105 को अपीलान्ट द्वारा खरीद किया गया हैं। अपीलान्ट अपनी खरीद शुदा भूमि पर वरवक्त विक्रय लेख के समय से काबिज काश्त रहा हैं। पटवार हल्का हांसपुर द्वारा अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि का नामान्तकरण भरकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास नामान्तकरण स्वीकृति हेतु पेश किया। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा यह कहते हुये नामान्तकरण को खारिज फरमाया हैं कि उक्त नामान्तकरण मे वर्णित खसरा नम्बरान पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर का स्थगन आदेश दिनांक 17.08.2021 को पारित होने से उक्त नामान्तकरण को दिनांक 06.09.2021 को कतई गलत रूप से अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अस्वीकार (खारिज) किया गया हैं। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि [illegible] खारिज आदेश विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नामान्तकरण का खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि मे कब्जे एव वास्तविकता की जाच नही कर केवल मात्र अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपीलान्ट के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात करते हुये अपीलान्ट के विधिक अधिकारो का हनन किया गया हैं। इस कारण आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को देखने से यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि पंचायत प्रस्ताव मे दर्ज हैं, कोरम द्वारा विचार विमर्श किया गया। कोरम द्वारा नामान्तकरण को सर्वसम्मति से खारिज किया गया। उक्त प्रस्ताव मे दर्ज भाषा शैली को देखने मात्र से यह स्पष्ट दर्शित हो रहा हैं कि ग्राम पंचायत की कोरम के द्वारा भी नामान्तकरण को खारिज करने बाबत् कोई कारण दर्ज नही किया गया हैं। इस कारण भी नामान्तकरण खारिज किये जाने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की खरीदशुदा व कब्जेशुदा भूमि का नामान्तकरण को खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना या सुनवाई का अवसर भी अपीलान्ट को प्रदान नही किया गया हैं। अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये या सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये ही अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि का नामान्तकरण को खारिज किये जाने का आदेश कतई विधि विरूद्व प्रार्थी/अपीलान्ट के विधिक अधिकारो के साथ घोर कुठाराघात किया गया हैं। इस कारण भी रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण को खारिज किये जाने का आदेश अपास्त [illegible] द्वारा केवल मात्र अपने पद का दुरूपयोग कर अपील[illegible] है। इस कारण भी उक्त नामान्तकरण को खारिज किये जाने का [illegible]श अपास्त किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट को पूर्व मे उक्त खारिज नामान्तकरण बाबत् कोई जानकारी नही हो सकी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा समस्त कार्यवाही बाला–बाला व गुचपुप मे की गयी हैं। अपीलान्ट द्वारा पटवार हल्का हांसपुर से दिनांक 28.12.2024 को अपनी खरीद शुदा भूमि की जमाबंदी बाबत् पटवारी रो निवेदन किया तो उन्होने बताया कि आपका नामान्तकरण तो पूर्व में ही खारिज हो गया हैं। तब अपीलान्ट को नामान्तकरण की नकल दिनांक 30.12.2024 को अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की प्रथम बार जानकारी नही हो सकी हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही हैं फिर भी जानकारी के अभाव मे जो देरी हुयी हैं। उस बाबत् अपीलान्ट द्वारा डिले कन्डोन बाबत् मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र अपील के साथ पेश किया जा रहा हैं। जिसे अपील मे साथ शुमार किया जाकर अपील का भाग माना जाकर अपील को अवधि मे शुमार फरमाया जाना न्यायोचित हैं। अतः अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट सरपंच, ग्राम पंचायत हांसपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1326 दिनांक 06.09.2021 द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण विक्रय लेख दिनांक 13.07.2021 अनुसार ग्राम हारांपुर पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 4.16 हैक्टर में हिस्सा 7/105 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 13.07.2021 को उक्त भूमि [illegible] खातेदार काश्तकार अश्विनी, प्रियंका, निकिता, लक्ष्यता पुत्रीयां पप्पू, विवेक, शशांक पुत्रगण पप्पू व कृष्णादेवी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पप्पू समस्त जाति जागिड निवासीगण वार्ड नम्बर 1 ढाणी उदकडी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) प्रत्येक का हिस्सा 1 / 105 कुल 7 हिस्से कुल 7 / 105 हिस्से की भूमि का अपीलान्ट के हक में दर्ज कर नामान्तकरण को स्वीकृत किये जाने का निवेदन अपनी अपील नामान्तकरण में की है।

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेण्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेसपोडेण्ट की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेसपोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेसपोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील अपीलान्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 13.07.2021 की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, नामान्तकरण संख्या 1326 दिनांक 06.09.2021 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त [illegible] विक्रेतागण अश्विनी, प्रियंका, निकिता, लक्ष्यता पुत्रीयां पप्पू, विवेक, शशांक पुत्रगण पप्पू व कृष्णादेवी पत्नी पप्पू

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति जांगिड निवासीगण वार्ड नम्बर 1 ढाणी उदकडी श्रीमाधोपुर व अन्य के नाम जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार अश्विनी, प्रियंका, निकिता, लक्ष्यता पुत्रीया पप्पू, विक्की, शशांक पुत्रगण पप्पू व कृष्णादेवी पत्नी पप्पू समस्त जाति जांगिड निवासीगण वार्ड नम्बर 1 ढाणी उदकडी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रत्येक का हिस्सा 1/105 अर्थात कुल 7 हिस्से 7/105 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से केता/अपीलान्ट श्रवण कुमार अग्रवाल पुत्र रामजीलाल अग्रवाल के पक्ष में दिनांक 13.07.2021 को करवाया जाना प्रकट होता है। नामान्तकरण संख्या 1326 निर्णय दिनांक 06.09.2021 के द्वारा नामान्तकरण में वर्णित खसरा नम्बरान् पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का स्थगन आदेश दिनांक 17.08.2021 जारी होने के कारण सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत हासंपुर द्वारा विक्रय का नामान्तकरण निरस्त किया जाना प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा पेश न्यायालय आदेशिका से उभय पक्षकारान् में समझौता हो जाने से न्यायालय स्थगन दिनांक 28.11.2024 को खारिज होना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेन्ट ग्राम पंचायत हासंपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1326 दिनांक 06.09.2021 द्वारा पारित आक्षेपित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 06.09.2021 को अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested